

20.3.25 वकील जार्जी उपस्थित। वकील जार्जी शायद डिस्ट्री
अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में उंकन होना बताया।
जार्जिया - पत्र में कोई कार्रवाई शेष नहीं होने पर
स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नंबर से भ्रम होकर
कार्रवाई इफल्ट हो।

आदेश लेते राजस्व हुआफा गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

GCMS
2021/155

